न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2012 जिला–छतरपुर

परसू तनय लल्लू कुशवाह,
निवासी– ग्राम टिकुरी (कछियाना)
तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर
(म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

1– हक्कू तनय मुल्ला काछी
2– बेटू तनय मुल्ला काछी
3– दसियां वेवा धनुवा काछी
निवासीगण– ग्राम टिकुरी (कछियाना) तहसील राजनगर, जिला–छतरपुर (म.प्र.)

.......अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला–छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 11/2011–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 23.10.2012 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, भूमि खसरा नं. 1898, 1899, 1906, 1915, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1821/3 क्रमशः रकवा 0.134, 0.198, 0.097, 0.247, 0.154, 0.134, 0.113, 0.117, 0.773, 1.619 हेक्टेयर कुलकिता 10 कुल रकवा 3.426 हेक्टेयर भूमि स्थित मोजा टिकुरी की भूमि धनुवा तनय टैंया काछी के भूमि स्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि थी, जो राजस्व अभिलेख में दर्ज है एवं भूमि खसरा नं. 1893, 1896, 1909, 1910 कुलकिता 04 कुल रकवा 0.286 हेक्टेयर भूमि में हिस्सा 1/4 जो धनुवा तनय टैंया काछी की भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि है।

2– यहकि, भूमि खसरा नं. 1821/3/1 रकवा 1.061 हेक्टेयर तथा भूमि खसरा नं. 1898 रकवा 0.134 हेक्टेयर, खसरा नं. 1899 रकवा 0.097 हेक्टेयर, 1906 रकवा 0.247 हेक्टेयर, 1915 रकवा 0.154 हेक्टेयर, खसरा नं. 1918 रकवा 0.134 हेक्टेयर, खसरा नं. 1919 रकवा 0.113 हेक्टेयर, खसरा नं. 1920 रकवा 0.117 हेक्टेयर, खसरा नं. 1921 रकवा 0.117 हेक्टेयर कुलकिता 09 भूमि स्थित मौजा टिकरी तहसील राजनगर जिला–छतरपर की भमि का धनवा

2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3879-दो/2012 जिला छतरपुर परसू विरूद्ध हक्कू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के प्रकरण क्रमांक 11/2011-12/अपील में पारित आदेश दिनांक 23-10-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-11-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता	
31/12-18		

3

है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य